



गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।


जी.बी.यू.-003/वित्त/5.37/2013-1086

दिनांक 02.12.2013

:: कार्यालय आदेश ::


वित्तीय वर्ष 2013-14 में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सभी छात्र सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा फीस की समस्त धनराशि को विश्वविद्यालय में जमा करा दिया गया है। यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा फीस की धनराशि को जमा नहीं किया गया है, तो दिनांक: 06.01.2014 से 13.01.2014 तक को मैस फीस की धनराशि रु0 9,180.00 के साथ ही अवशेष धनराशि को विश्वविद्यालय के सम्बन्धित स्कूलों में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर दें। इस दिनांक के उपरान्त अन्यथा विलम्ब शुल्क रु0 1000.00 होगी। धनराशि सिर्फ डी0डी0 के माध्यम से जो कि “गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय” के पक्ष तथा नई दिल्ली में देय हो स्वीकार किया जायेगा। किसी भी दशा में अन्य किसी माध्यम से अथवा नकद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा फीस की धनराशि को अन्य किसी माध्यम से जैसे- बैंक/आर0टी0जी0एस0/एन0इ0एफ0टी0 जमा कराया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित स्कूल से सम्पर्क करें।


पंकज शर्मा
(वित्त अधिकारी)

प्रपिलिपि:

1. कुलपति महोदय के निजी सचिव को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त अधिष्ठाता को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक सिस्टम मैनेजर, सेन्ट्रल कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के साथ ही समस्त छात्रों को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
5. विश्वविद्यालय के समस्त सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु।


पंकज शर्मा
(वित्त अधिकारी)